उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

मंगलवार, 06 फाल्गुन, शक संवत् 1946

(25 फरवरी, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

2-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 वित्तीय निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

3-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 व 2017-2018 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

4-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2009-2010, 2010-2011 व 2013-2014 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

5-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का नवम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2014-2015, 2018-2019 व 2019-2020 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

6-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का दशम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 व 2016-2017 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

7-कृषि मंत्री, प्रदेश के किसानों को उनके लागत के अनुरूप उपज का लाभ दिलाने व उनकी आय दोगुनी करने के सम्बन्ध में सर्वश्री (डॉ0) मान सिंह यादव, लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् एवं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-औद्योगिक विकास मंत्री, जनपद-प्रयागराज के विकास खण्ड-मऊ आईमा में अत्यधिक पुरानी कताई मिल की फैक्ट्री को चालू कराये जाने के साथ ही मिल मजदूरों के बकाया भुगतान को करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, प्रदेश के आउटसोर्सिंग (सेवा प्रदाता संस्थाओं) में बाहरी फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाते हुये स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदाता फर्मों का चयन करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी व इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-गाजीपुर के विकास खण्ड-जखनिया में स्टेट बैंक दुल्लहपुर के पास गुप्तेश्वर जायसवाल के मकान से अर्श पब्लिक स्कूल, जलालाबाद होते हुए सुल्तानपुर चौहान बस्ती का जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-कृषि मंत्री, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संचालित दो योजनाओं के क्रमशः किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना में तरबूज व खरबूजे को लिये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे

12-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत केला उत्पादकों की समस्या के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-कृषि मंत्री, जनपद-महोबा एवं हमीरपुर में मूंगफली क्रय केन्द्र पर व्यापारियों को हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-चठिया फैजू, विकास खण्ड-भुता, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से श्री रतीभान सिंह के खेत से सरकारी ट्यूबवेल तक सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

15-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम चठिया फैजू, विकास खण्ड-भुता, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से श्री रविन्द्र सिंह के खेत से ग्राम खानपुर मेन रोड तक सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

16-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला, विकास खण्ड-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

17-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत जंगल तुलसी राम बिछिया काली मन्दिर, नगर निगम, जनपद-गोरखपुर के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

18-श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-गंज जलालाबाद, विकास खण्ड मल्लावां, जनपद-हरदोई के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

19-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार एवं पारण (अन्तिम दिवस) :-

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी, 2025 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'छ')

20-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

लखनऊ :
मंगलवार, 06 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(25 फरवरी, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	10-2-2025
*2	10-2-2025
*3	10-2-2025
*4	10-2-2025
*5	10-2-2025
*6	11-2-2025
*7	11-2-2025
*8	11-2-2025
*9	11-2-2025
*10	11-2-2025
*11	12-2-2025
*12	14-2-2025
*13	15-2-2025

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	13-2-2025
2	13-2-2025
3	14-2-2025
4	14-2-2025
5	15-2-2025

नत्थी 'क'

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा शिक्षित को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1	*1-(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के शिक्षित नवयुवकों को औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत रोजगार दिलाये जाने हेतु सरकार का वित्तीय वर्ष 2022-2023, 2023-2024 व 2024-2025 में क्या-क्या लक्ष्य था और लक्ष्य के सापेक्ष कितना कार्य किया गया है और कितना कार्य अवशेष है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	औद्योगिक विकास मंत्री
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 2	*2-[अन्तरित।]	

मिर्जापुर, वाराणसी व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत नवयुवकों को प्रशिक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा

3

*3-(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक मिर्जापुर, वाराणसी व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से कितने नवयुवकों को प्रशिक्षित किया गया है ?

(ख) क्या प्रशिक्षित नवयुवकों को उक्त विभाग के अन्तर्गत ही किसी प्रकार का कोई रोजगार भी प्राप्त कराया गया है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल

4

*4-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन सं0-3131133234 के साथ ही वर्ष 2024 में जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव को कितने आनलॉइन आवदेन-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

(ख) सम्बन्धितों को उक्त लाभ कब तक प्रदान कर दिये जायेंगे ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

श्री किरण पाल कश्यप

5

*5-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

अशासकीय सहायता प्राप्त प्रा0 वि0 के प्रकरणों पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

6

*6-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि अशासकीय मान्यता प्राप्त प्रा0 वि0 में अवैतनिक कार्यरत शिक्षक कल्याण समिति द्वारा मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र दिनांक 14-06-2024 के अनुक्रम में मुख्य मंत्री के विशेष सचिव प्रथमेश कुमार द्वारा दिनांक 20-06-2024 को प्रमुख सचिव, समाज कल्याण से प्रकरण पर परीक्षण कराकर 15 दिन में पत्रावली पर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो क्या समयान्तर्गत आख्या प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा प्रस्तुत की गयी ?

(ग) यदि हां, तो प्रकरण पर दी गयी आख्यानुसार अद्यतन क्या कार्यवाही की गयी ?

(घ) क्या उक्त आख्या पर की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग के कमजोर लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु परियोजना हेतु ऋण की उपलब्धता के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप

7

*7-(क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम जिसकी स्थापना वर्ष 1991-92 में की गयी थी, जिसमें पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों को आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिये उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 में 71 करोड़ रुपये दिये गये थे ?

(ग) यदि नहीं, तो पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम में वर्ष 2017 से 2024 तक कितना धन आवंटित किया गया तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है ?

उ0प्र0 में राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज के शिक्षकों के मानदेय के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव

8

*8-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज कितने हैं ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

(ख) क्या इन कालेजों के शिक्षकों को विभाग द्वारा मानदेय दिया जाता है ?

(ग) क्या इन शिक्षकों को नियमित कर पूर्ण वेतन देने की कोई कार्य योजना बनायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो इन शिक्षकों को कब तक नियमित करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरण पाल कश्यप

9

*9-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों को अनुदानित शिक्षकों की भांति पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

10

*10-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य, विधान परिषद् एवं दिनेश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 01 सितम्बर, 2024 को मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र जो कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को अन्य विभागों की अनुदानित शिक्षकों की भांति पेंशन, पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की मांग की गयी है ?

(ग) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) उक्त कार्यवाही कब तक करायेंगे ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

श्री आशुतोष सिन्हा

11

*11-[अन्तरित।]

जनपद सहारनपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिर्जापुर के कार्य पूर्ण होने की जानकारी के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान

12

*12-(क) क्या खेल मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिर्जापुर का कार्य कब तक पूर्ण होना था ?

(ख) यदि उक्त कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

खेल राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर 92 किमी0 पर उतरने व चढ़ने के लिए कितने कट हैं तथा सभी सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं, के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव

13

*13-(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर 92 किमी0 पर उतरने व चढ़ने के लिए कितने कट हैं तथा सभी सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो कितने कट काम कर रहे हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1	1-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत सन्दाना, विकास खण्ड-हिलौली, तहसील-पुरवा, जनपद-उन्नाव में रजिस्ट्रेशन संख्या-313113233091, 313112975921 व 313112931951 के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में वृद्धावस्था पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हां, तो कब ? (घ) क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 2	2-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गुलौली में सामुदायिक केन्द्र (विवाह घर) न होने से क्षेत्र की गरीब जनता को शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 3	3-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सन्तकबीर नगर के किसानों को कौन-कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ? (ख) वित्तीय वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 में रबी और खरीफ की फसलों में कौन-कौन से खाद, बीज एवं कृषि यंत्र किसानों को दिये गये ? (ग) उनके नाम और पते क्या हैं ?	कृषि मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 4	4-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि परिषद् के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-6 के खण्ड 'ख' के उत्तर के क्रम में बतायेंगे कि रजिस्ट्रेशन संख्या-313312651301 व 313312088261 को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है ? (ख) क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेज दी गयी है ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

(ग) यदि हां, तो कब ?

(घ) उक्त की सूची नाम, पते तथा दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्री पवन कुमार सिंह 5	5-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पहला की ग्राम पंचायत-मरहमत नगर में कोई भी सामुदायिक केन्द्र न होने से क्षेत्र की गरीब जनता को शादी-विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में परेशानियों का समाना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-भुता, ग्राम पंचायत-चठिया फैजू में रतीभान सिंह के खेत से सरकारी ट्यूबवेल तक लगभग 1.8 किमी0 खड़न्जा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण विकास खण्ड-भुता, ग्राम पंचात-चठिया फैजू, जिला-बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम चठिया फैजू खड़न्जा मार्ग का निर्माण रतीभान सिंह के खेत से सरकारी ट्यूबवेल तक होना है जिसकी लम्बाई लगभग 1.8 किमी0 है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-भुता, ग्राम पंचायत-चठिया फैजू में श्री रविन्द्र सिंह के खेत से ग्राम खानपुर के मेन रोड तक लगभग 1.5 किमी0 खण्ड़जा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-चठिया फैजू विकास खण्ड-भुता, जिला-बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे चठिया फैजू में श्री रविन्द्र सिंह के खेत से ग्राम खानपुर के मेन रोड तक लगभग 1.5 किमी0 खड़न्जा मार्ग कराया जाना है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ, के ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला में मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीवाल एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला, विकास खण्ड-बिजुआ, जिला लखीमपुर खीरी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला में मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीवाल एवं सौन्दर्यीकरण कराया जाना है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त स्थान का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त ग्राम सभा में मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीवाल और सौन्दर्यीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-गोरखपुर के अन्तर्गत पुरानी काली मन्दिर के दक्षिण तरफ जाय बिहारी श्रीवास्तव के मकान के पीछे स्व0 हरिराम यादव के मकान तक लगभग 80 मीटर व श्रीवास्तव के मकान के सामने पूरब की ओर रविन्द्र मोहन के मकान तक लगभग 60 मीटर सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी गोरखपुर के मूल निवासी हैं। हमारे यहां पुरानी काली मन्दिर के दक्षिण तरफ जाय बिहारी श्रीवास्तव के मकान के पीछे स्व0 हरिराम यादव के मकान तक लगभग 80 मीटर व श्रीवास्तव के मकान के सामने पूरब की ओर रविन्द्र मोहन के मकान तक लगभग 60 मीटर सड़क व नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे गांव के निवासियों को आने-जाने में असुविधा न हो सके। गांव के निवासियों द्वारा उक्त सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड-मल्लावां के ग्राम पंचायत-गंज जलालाबाद में जय नरायण मिश्र के मकान से लक्ष्छो देवी मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग रोड़ बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-गंज जलालाबाद, विकास खण्ड-मल्लावां, जिला हरदोई के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-गंज जलालाबाद में जय नरायण मिश्र के मकान से लक्ष्छो देवी मन्दिर तक रोड बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर इण्टरलॉकिंग रोड़ बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, किरण पाल कश्यप, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, डा0 मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, आशुतोष सिन्हा, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित पर चर्चा नहीं की है :- 1-प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किये जाने तथा हत्या, अपहरण, डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-कुम्भ में मारे गये लोगों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में जातिगत जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में दलित, शोषित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में, 6-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने व विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 7-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		11-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		12-क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में
		13-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		14-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,
		15-व्यापारियों को सेवा एवं माल कर से उत्पन्न परेशानी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमीलेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में धान एवं गेहूँ खरीद में हो रही अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-सरकार द्वारा नये धान, गेहूँ खरीद केन्द्र खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,
		19-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर अराजकता का माहौल पैदा करने एवं धन की अवैध वसूली पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश की अनियंत्रित यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए चुस्त दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गड्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,
		23-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब लगभग 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,
		24-अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृत्ति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
		25-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

26-किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में,

29-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

30-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

31-प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोके जाने के सम्बन्ध में,

32-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है,

34-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

36-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

37-छात्र-छात्राओं के लिए लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

38-दिव्यांगों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

39-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		42-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में, 43-प्रदेश के बेरोजगारों, युवाओं को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 44-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में, 45-प्रदेश में बिक रही नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में, 46-मत्स्य पालन हेतु अनाधिकृत रूप से कब्जा हुए तालाबों से अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 47-पिछले वर्ष विधान मण्डल द्वारा सपारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में, 48-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में, 49-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में, 50-बी0पी0एल0 कार्डधारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 51-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में 52-किसानों को पराली (धान-गन्ना) जलाये जाने पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में, तथा 53-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में।"
2	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों में धारा-12, धारा-18, धारा-21 को प्रभावी किया जाना, 2-प्रदेश की स्व-पोषित (वित्त विहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवाशर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त पर आधारित है,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

3-विज्ञापन के आधार पर विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना,

4-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का कोरोना अवधि में रोकी गई मंहगाई भत्ते की किश्तें तथा भत्तों को वापस अभी तक न दिया जाना,

5-वित्त विहीन विद्यालयों में अध्ययनरत 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान किया जाय,

6-व्यवसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाय,

7-माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0ग्रेड के शिक्षकों को सहायक प्रवक्ता पद दिया जाय,

8-गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु हाई स्कूल में भी इण्टर कक्षाओं की तरह प्रयोगात्मक परीक्षा कराया जाय,

9-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना,

10-विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिनियम, 2016 की धारा-8 को विलुप्त किया जाय,

11-वर्ष 2000 के पूर्ण शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुये पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाये,

12-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाना,

13-प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षक और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मान्य करना,

14-प्रदेश में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशव्यापी संघर्ष चल रहा है। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट जारी करके खुलासा किया गया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार की अनदेखी किया जाना,

15- 01 अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य किया जाना अर्थात् पुरानी पेंशन की बहाली,

16-गुणवत्तापरक शिक्षा के हित में कम्प्यूटर शिक्षक तथा व्यावसायिक शिक्षकों के पद सृजित किया जाना तथा उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक के समान कार्य के लिये समान वेतन अनुमन्य किया जाना,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

17-महिला विद्यालयों में प्रबन्धकों के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और विद्यालय समय में प्रबन्धक का प्रवेश और उनके निरीक्षण की रोक की व्यवस्था सुनिश्चित करना,

18-छात्र-छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

19-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

20-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव न लिये जाने के सम्बन्ध में,

21-अलीगढ़ मण्डल, चित्रकूट मण्डल, देवीपाटन मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा उप शिक्षा निदेशक के पद को सृजित किया जाना,

22-प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजनैतिक प्रभावों के कारण महिलाओं के उत्पीड़न और जनसाधारण के प्रति अन्याय के प्रतिदिन होने वाले प्रकरणों की चर्चा,

23-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणाम स्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण न होने के कारण छात्रों को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाना,

24-राजकीय विद्यालयों में पदोन्नति का बाधित होना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति,

25-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना,

26-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

27-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

28-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने और वेतन पाने में भारी भ्रष्टाचार और घूस पर नियन्त्रण न होना,

29-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानान्तरण नीति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित किया जाना तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान किया जाना,

30-नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवाकाल का राज्यांश जमा किया जाना,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		31-करोना अवधि में मृतक शिक्षकों के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवायोजन किया जाना तथा ऐसे शिक्षक परिवारों को ग्रेच्युटी की सुविधा भी प्रदान किया जाना, 32-सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना , 33-सहायता प्राप्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थगित व्यवस्था को समाप्त कर नियुक्ति सुनिश्चित करना तथा शिक्षण संस्थाओं में आउटसोर्सिंग की दूषित प्रणाली समाप्त किया जाना, के सम्बन्ध में, 34-प्रदेश में विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में, 35-सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्बल आय वर्ग मे छात्रों को पुस्तकों आदि की व्यवस्था सुलभ करने हेतु अनुदान अथवा छात्रवृत्ति स्वीकार करने के सम्बन्ध में, 36-बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा 37-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना।”
3	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल	1-प्रदेश की स्व-पोषित (वित्तविहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवा शर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के दिया जाना चाहिए, 2-विज्ञान के आधार पर विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाये, 3-व्यावसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाना चाहिए, 4-शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों को प्रभावी किया जाना चाहिए, 5-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जाये, 6-प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भाँति चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किया जाये, 7-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

8-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराना और वेतन पाने में उत्पन्न भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये,

11-प्रदेश के समस्त मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

12-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थानान्तरण, नियुक्ति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित की जाये तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान की जाये,

13-सभी स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाये,

14-सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्वल आय वर्ग के छात्रों को भी निःशुल्क पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाये,

15-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की योग्यता (कक्षा-8) केवल साक्षर होना चाहिए तथा इण्टरमीडिएट की योग्यता को समाप्त किया जाये,

16-नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवाकाल का राज्यांश जमा किया जाये,

17-वर्ष 2000 के पूर्व शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुए पेंशन की सुविधा अनुमन्य किया जाये,

18-छात्र/छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किया जाये,

19-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणामस्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण न होने के कारण छात्र/छात्राओं को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाये, तथा

20-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किया जाये।''

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।